भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3770

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: ऊर्ध्वाधर खेती

3770. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऊर्ध्वाधर खेती द्वारा कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में ऊर्ध्वाधर खेती प्रौद्योगिकी की व्यावसायिक व्यवहार्यता और भविष्य में इसकी परिवर्तनीय और विस्तार का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऊर्ध्वाधर खेती के लिए विशेष रूप से कोई नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का क्रियान्वयन कर रहा है। हाल ही में एमआईडीएच के अंतर्गत ग्रीनहाउस आधारित वर्टिकल फार्मिंग को शामिल करके संरक्षित खेती के घटक का विस्तार किया गया है। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स के लिए एमआईडीएच के अंतर्गत लागत मानदंडों और सहायता के स्वरूप का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार लाना और फार्मगेट और फसलोपरांत के चरणों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और वर्टिकल फार्मिंग जैसी नवीन कृषि पद्धतियों को सहायता दी जाती है। हाइड्रोपोनिक खेती, वर्टिकल फार्मिंग और एरोपोनिक खेती एआईएफ स्कीम के तहत पात्र परियोजनाएं हैं। एआईएफ के तहत घटक, सहायता के पैटर्न और पात्र परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है। भारत में वर्टिकल फार्मिंग प्रौद्योगिकियों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और मापनीयता के लिए मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालाँकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), शिमला ने एरोपोनिक्स तकनीक पर आधारित एक प्रोग्राम्ड एयर मिस्ट-आधारित आलू संवर्धन तकनीक

विकसित की है। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए संस्थान द्वारा आलू बीज उत्पादन की एरोपोनिक्स तकनीक का विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के लिए व्यावसायीकरण किया गया है। आईसीएआर-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बेंगलुरु और आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (सीआईएसएच), लखनऊ भी तुलनात्मक उत्पादकता, दक्षता और व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर अनुसंधान में शामिल हैं।

अनुलग्नक - I

<u>संरक्षित खेती के अंतर्गत एमआईडीएच के अंतर्गत लागत मानदंडों और सहायता के स्वरूप का विवरण</u>

संरक्षित खेती		
पॉलीहाउस/ हाइब्रिड/ रिट्रैक्टेबल संरचनाएँ		
पॉली हाउस/ हाइब्रिड/ रिट्रैक्टबल संरचनाएं	₹1800/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक) ₹1600/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर से अधिक से 1008 वर्ग मीटर तक) ₹1500/वर्ग मीटर (1008 वर्ग मीटर से अधिक से 2500 वर्ग मीटर तक) पूर्वोत्तर (एनई) और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गाँवों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में उपरोक्त दरें 15% अधिक होंगी।	प्रति लाभार्थी अधिकतम 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 50% की दर से सहायता या छोटे क्षेत्रों के लिए आनुपातिक आधार पर सहायता।
अतिरिक्त घटक		
i. हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स	₹ 350/- प्रति वर्ग मीटर पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गाँवों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में उपरोक्त दरें 15% अधिक होंगी।	प्रति लाभार्थी अधिकतम 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 50% की दर से सहायता या छोटे क्षेत्रों के लिए आनुपातिक आधार पर सहायता।
ii. केवल पॉलीहाउस में सर्कुलेशन पंखे	प्रति फ़ैन 5000 रुपये। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गाँवों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में उपरोक्त दरें 15% अधिक होंगी।	प्रति लाभार्थी अधिकतम 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए अधिकतम 6 पंखों के लिए 50% की दर से सहायता या छोटे क्षेत्रों के लिए आनुपातिक आधार पर सहायता।
iii. फर्टिगेशन के लिए सेंसर आधारित स्वचालन प्रणाली	₹4 लाख/इकाई पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गाँवों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में उपरोक्त दरें 15% अधिक होंगी।	संरक्षित खेती के अंतर्गत प्रति लाभार्थी न्यूनतम 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए प्रति इकाई 50% की दर से सहायता।

अनुलग्नक-II

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत घटक, सहायता का स्वरूप और पात्र परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	घटक का नाम	मानदंड
1.	ब्याज अनुदान लागत	इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर ₹2 करोड़ की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता मिलेगी। यह सहायता अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। ₹2 करोड़ से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज सहायता ₹2 करोड़ तक सीमित होगी।
2.	ऋण गारंटी लागत	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) स्कीम के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के पात्र उधारकर्ताओं के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। इस कवरेज का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
3.	पात्र परियोजनाएँ	व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियाँ: हाइड्रोपोनिक खेती, वर्टिकल खेती, एरोपोनिक खेती और पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस।

******